प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.05.2026

सर्विलांस/ स्वॉट टीम नगर जोन व थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी कर आभूषण चोरी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से पीली धातु के आभूषण (अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपये) व 05 मोबाइल बरामद ।

घटना का विवरण:

दिनांक 16.05.2026 को आवेदक श्री विनीत गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता (निवासी: V-136/2 अरविन्द नगर घोण्डा, दिल्ली, Caratlane A Tata Product Ltd. Jewellery Consultant) के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें बताया गया कि अज्ञात लड़कों द्वारा वादी को धोखे से ज्वैलरी दिखाने के लिए मकान पर बुलाकर गुमराह किया गया और करीब 22 लाख रुपये की ज्वैलरी व I-pad लेकर फरार हो गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमें गठित की गई। आज दिनांक 23.05.2026 को नगर स्वॉट टीम, नगर जोन सर्विलांस टीम एंव थाना विजयनगर पुलिस टीम के अथक प्रयास एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्तों को हिण्डन बैराज की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों के नाम व पता:

1. **अभिषेक** पुत्र मुकेश कुमार, निवासी: निकट पंजाब नेशनल बैंक, चंदौसी रोड, बहजोई, थाना बहजोई, जनपद सम्भल (उम्र 29 वर्ष)।
2. **पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ प्रेम** पुत्र रामअवतार, निवासी: इस्लामनगर चौराहा, नई बस्ती विकास कॉलोनी, बहजोई, थाना बहजोई, जनपद सम्भल (उम्र 25 वर्ष)।
3. **विशाल** पुत्र महेन्द्र कुमार, निवासी: इस्लामनगर चौराहा, केनरा बैंक के सामने, बहजोई, थाना बहजोई, जनपद सम्भल (उम्र 25 वर्ष)।
4. **अमन** पुत्र रामचन्द्र, निवासी: डबल फाटक, संजयनगर, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद (उम्र 22 वर्ष)।
5. **यश** पुत्र मुकेश कुमार, निवासी: निकट पंजाब नेशनल बैंक, चंदौसी रोड, बहजोई, थाना बहजोई, जनपद सम्भल (उम्र 19 वर्ष)।
6. **राहुल** पुत्र रामअवतार सिंह, निवासी: इस्लामनगर रोड, नई बस्ती दुर्गा कॉलोनी, बहजोई, थाना बहजोई, जनपद सम्भल (उम्र 28 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण:

1. 07 चेन (पीली धातु की)
2. 02 ब्रेसलेट (पीली धातु के)
   (अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपये)
3. 05 मोबाइल फोन
4. 01 फर्जी नंबर प्लेट
5. सीज शुदा कार (Hyundai Venue), रजिस्ट्रेशन नम्बर: UP38AA0616

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग एनसीआर क्षेत्र में ज्वैलर्स कम्पनी को फोन करके उन्हें किसी का भी पता बताकर एजेंट को बुला लेते हैं और मिलकर उसे गुमराह करके सोने एवं चांदी के आभूषण व अन्य सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। दिनांक 16.05.2026 को भी हमने Caratlane A Tata Product Ltd. ज्वैलर्स कम्पनी में फोन करके कुछ सोने के आभूषण देखने के लिए सिद्धार्थ विहार, विजयनगर का पता बताकर वहां पर बुलाया था। जब कम्पनी का व्यक्ति आया तो हमारे द्वारा गुमराह करके उसकी ज्वैलरी व I-Pad लेकर वहां से भाग गए थे। आज हम लोग ज्वैलरी के बंटवारे हेतु इकट्ठा हुए थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

सर्विलांस/ स्वॉट टीम नगर जोन व थाना विजयनगर पुलिस टीम

सर्विलांस/ स्वॉट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत महिला मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में नगदी व गांजा/स्मैक (अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण:

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' अभियान के अंतर्गत, थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम क्षेत्र (गली नं.-01, तीस फुटा रोड, नई बस्ती, नन्दग्राम) से एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से अवैध गांजा, स्मैक और कुल 5,98,013 रुपये की नगदी सहित कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्ता का नाम व पता:

- **गीता** पत्नी तरुण, निवासी: गली नं.-01, तीस फुटा रोड, नई बस्ती, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद (उम्र करीब 28 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण:

1. नगद धनराशि: कुल 5,98,013 रुपये

- **नोटों का विवरण:** कुल 5 लाख 95 हजार रुपये (500x800, 200x400, 100x100, 50x200, 20x200, 10x100)। यह रकम एक नीले रंग के बैग (जिसमें लाल-पीले व सफेद रंग हैं) से बरामद हुई।
- **सिक्कों का विवरण:** कुल 3 हजार 13 रुपये (20x47, 10x180, 5x48, 2x12 तथा 1x9)। यह एक स्टील के डिब्बे से बरामद हुए।

2. अवैध मादक पदार्थ:

- **900 ग्राम अवैध गांजा** (एक पीले रंग की पॉलिथीन में)।
- **172.2 ग्राम स्मैक** (एक काली पॉलीथीन में 2460 पुड़ियों में भरी हुई)।

(अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपये)

3. मोबाइल फोन (कुल 07 अदद):

- **03 की-पैड फोन:** 1 हीरो कम्पनी (नीला रंग), 1 मोटोरोला कम्पनी (आसमानी रंग), 1 लावा कम्पनी (काला रंग)।
- **04 एंड्रॉइड फोन:** 1 रेडमी कम्पनी (काला रंग), 1 रियलमी कम्पनी (सलेटी रंग), और 2 अन्य एंड्रॉइड फोन (जिनमें से एक पर 'CAMERA VARIO SUMMIL UX-H118-24/17-80ASPH' लिखा है, रंग काला)।

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि बरामद गांजा व रुपये उसके ही हैं। वह नन्दग्राम क्षेत्र में घूम-फिरकर आते-जाते व्यक्तियों को मादक पदार्थ बेचकर अपना खर्च चलाती है। आज भी वह इसी काम के लिए आई थी।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम:

सर्विलांस/ स्वॉट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 04 वर्ष के साथ मंजूर सैफी पुत्र करीम द्वारा जबरदस्ती करने की कोशिश करना, वादी की पुत्री के कपड़े फाड़ देना व मारपीट करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-65(2)/62/76/115(2) बीएनएस व 5m/6/18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दौराने विवेचना बयानों एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(2)/62 बीएनएस व 5m/6/18 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा 9m/10 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 22.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मंजूर सैफी पुत्र करीम सैफी निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वादी मेरी रिश्तेदारी में है, उसका मेरे घर पर आना-जाना है। दिनांक 19.05.2026 को दोपहर के समय वादी की पुत्री मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मेरे घर आयी थी। मौका पाकर मैंने वादी की पुत्री के कपड़े फाड़ दिये तथा अश्लील हरकत करने लगा था, तभी पीड़िता की माता वहाँ पर आ गयी। पीड़िता की माता को देखकर मैं डर गया तथा घर से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मंजूर सैफी पुत्र करीम सैफी निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2026 को एक व्यक्ति को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाला नामित / वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.05.2026 को वादी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार निवासी लैंड क्राफ्ट मैट्रो होम्स सोसाइटी, मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त रामपाल चौधरी निवासी आदर्श कालोनी जलालापुर रोड थाना मुरादनगर गा0बाद के द्वारा वादी के भाई वीरेन्द्र त्यागी निवासी आदर्श कालोनी जलालापुर रोड थाना मुरादनगर गा0बाद व जनगणना कर्म0 के साथ गाली गलौच व धमकी देकर भाग जाना व पुनः वापस आकर अभियुक्त रामपाल चौधरी के द्वारा वादी के भाई वीरेन्द्र त्यागी को गोली मारना जिसमे वादी का

भाई वीरेन्द्र त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका हॉस्पीटल मोदीनगर में उपचार चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धारा 109(1),352,351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त रामपाल चौधरी पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद हाल पता आदर्श कालोनी जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 65 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23.05.2026 को जनगणना कर्मचारी जनगणना करने हेतु मेरे घर आकर मुझसे सीधे मेरे परिवार व किरायेदारों के बारे में पूछताछ करने लगे तो उनके द्वारा इस तरीके से सीधे मुझसे मेरे परिवार या मेरे किरायेदार के बारे में पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी बात से मेरी जनगणना कर्मचारियों के साथ कहासुनी होने लगी जिससे मैने गुस्से में आकर जनगणना कर्मचारियों को अपने घर से भगाया और मै घर से चला गया जिसके तुरंत बाद ही जनगणना कर्मचारियों ने मेरे घर पर डायल 112 की पुलिस को बुला लिया। पुलिस के जाने के बाद मैने घर पर आकर जनगणना कर्मचारियों से पूछा कि मेरे घर का पता तुम्हे बताया किसने था तो जनगणना कर्मचारी ने बताया कि आपके पडोसी वीरेन्द्र त्यागी ने हमे आपका नाम पता व घर के बारे में बताया था जैसे ही जनगणना कर्मचारी मेरे घर से गये तो इसी बात से गुस्सा होकर मेरी वीरेन्द्र त्यागी के साथ कहासुनी हो गयी और मैने गुस्से में आकर वीरेन्द्र त्यागी के गोली मार दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रामपाल चौधरी पुत्र मूलचन्द्र स्थायी निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद हाल पता आदर्श कालोनी जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 65 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 04.12.2025 को वादी जसीम अहमद सैफी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 02.12.2025 को मेरी मोटर साइकिल मेरे घर की गली से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303 (2) बीएनएस के अन्तर्गत

अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 22.05.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त विकास पुत्र तीर्थपाल निवासी हाल पता प्लाट न0- 91 एफ एफ-3 ज्ञानखण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम बरबाला थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष को ग्रीन बेल्ट सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास को चोरी की 01 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटर साइकिल मैने विस्तार कालोनी से लगभग 5 से 6 महीने पहले चोरी की थी। इस मोटर साइकिल को मै आज बेचने के लिए जा रहा था। आपको देखकर मै डर गया था इसलिए भाग रहा था कि रास्ते में आपने पकड लिया। मैं मोटर साइकिल चोरी कर उसे बेचकर अपने शौक-मौज पूरा करता था। साहब गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- विकास पुत्र तीर्थपाल निवासी हाल पता प्लाट न0- 91 एफ एफ-3 ज्ञानखण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम बरबाला थाना रमाला जनपद बागपात उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त विकास उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।